



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052022-236110
CG-DL-E-30052022-236110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2309]
No. 2309]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 30 2022/ JYAISHTHA 9, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

का.आ. 2435(अ).—केंद्र सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का नाम विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह आदेश 30 नवंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-2]

एन. के. संतोषी, उप महानिदेशक

नोट : मूल आदेश को दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5405(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 30th May, 2022

S.O. 2435(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) This Order may be called the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following subparagraph shall be substituted, namely:—

“(2) This order shall come into force on the 30th day of November, 2022.”

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-2]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th December, 2021, *vide* notification number S.O. 5405(E) dated 22nd December, 2021.

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

का.आ. 2436(अ).—केंद्र सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मिथाइल एक्रिलेट, एथिल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का नाम मिथाइल एक्रिलेट, एथिल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मिथाइल एक्रिलेट, एथिल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 30 नवंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग-2]

एन. के. संतोषी, उप महानिदेशक

नोट : मूल आदेश को दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5406 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।